

**Annexure B/1**

From  
Rajat Singh Jain, H.J.S.,  
District Judge, Meerut.

To  
The Registrar General,  
Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad,  
Prayagraj.  
Subject: Explanation regarding borrowing and lending money to my mother Smt.  
Aruna Jain.

Sir,

It is humbly submitted that I joined the service on 15.12.2008. Prior to that I was staying in Joint Hindu Family of my father alongwith my parents. In 2010, in O.S. No. 6 of 1979, Bhartendra Singh Jain versus Virendra Singh Jain and others, a settlement took place between my father and his brothers on 13.09.2010, wherein it was agreed that ancestral house was to be vacated by our family by 12.02.2012. Therefore, it was decided to construct a residential house on shops which fell into share of my father. Unfortunately, my father suddenly expired on 21.03.2011. My mother started construction of a house at Kasganj out of her own savings and money left by father, but the same fell short for necessary finishing work. She was denied loan by the banks/financial institution due to her old age. As, the deadline for vacating the ancestral house was near and the constructed house was not habitable, therefore I and my siblings lent some interest free loan so that house could be made habitable. Thus, I lent a sum of Rs. 4,25,000.00 from 30.11.2012 to 31.08.2012. thereafter my mother sold certain immovable properties and returned the borrowed amount between 29.10.2012 to 22.04.2014. All transactions were either made by cheque or online bank transfer. A copy of compromise decree in O.S. No. 06 of 1979 is annexed as Annexure-B/2. (Kindly see para 18 of that compromise.)

In 2014, I decided to purchase a flat. When I contacted the builder, I was told about the consideration amount payable to the tune of Rs.75,40,000.00. I contacted the financer, i.e., HDFC Ltd and initially they agreed to lend me a sum of rupees 60 lakhs. I reviewed my savings and that of my family and found that I can arrange a sum of Rs.15.40 lakhs after exhausting all savings of my family. Thereafter, I paid a sum of 25000.00 in cash on 01.04.2014 and Rs. 10 lakhs by cheque on 25.04.2014 to the builder. I was sure that the finance company would lend me a sum of Rs. 60 lakhs. However, the finance company found that

2

considering my salary and existing liabilities etc., I am eligible only for a maximum loan of Rs. 57 lakhs. I contacted the builder and asked him to refund my already paid amount, but the builder refused. I had no other choice except to explore the other sources of finance. Other banks and financial institution also refused to give me loan on knowing that I am taking a loan of Rs. 57 lakh from HDFC Ltd. My real mother Smt. Aruna Jain was in a position to lend me a sum of Rs. 2 lakhs and therefore I agreed to take interest-free loan from my mother, otherwise my initial deposit was to be forfeited by the builder. Therefore, I asked my mother to pay a sum of Rs. 2 lakhs directly to the builder by account payee cheque, which she did. My mother gave me a certificate to this effect on 07/07/2014. A copy of that certificate is annexed as Annexure-B/3. Particulars of transactions are enclosed as Annexure-B/4.

It is further humbly submitted that I joined the service on 15/12/2008 and was not aware about the provisions regarding lending and borrowing. However, before giving or accepting interest-free loan to or from my mother, I quarried from a senior judicial officer, and he told me that I could lend or borrow interest free money to/from relatives not residing in the district of posting. Believing him, I did such type of transactions in total ignorance.


It is humbly submitted that the mistake was totally unintentional and due to ignorance as I believed oral opinion of a senior judicial officer. Had I known about the restrictions regarding taking or giving loan from or to the relatives, I would not have taken a loan or lend money without seeking prior permission of the Hon'ble court. When I came to know about rule regarding borrowing and lending of money, I had not made a single transaction of borrowing or lending of money even with a relative. I tender my unconditional apology and assure the Hon'ble court that I would not repeat such a mistake in future.

It is therefore most respectfully prayed that this letter may be placed before the Hon'ble court to consider accepting my unconditional apology and pardon me for my act of borrowing and taking loan from my mother under compelling circumstances, without previous sanction of the Hon'ble court.

With regards.

Yours faithfully,

Date: 06/01/2022

  
(Rajat Singh Jain)

District Judge, Meerut.

मूल वाद में आज्ञप्ति



(अर्द्ध ३०; लिपि ६-७)

श्रावण सिंहल जर्ज (जीन डोड) कथा कांशीराम मगर जिला कांशीराम मगर

ପ୍ରକାଶକା : ୦୫-୦୬ | ୭୯

ଅଧିକାର-ବିଭାଗ

四

卷一 18

४०

→ दा. मरेट-पुस्ति उप ५५ साल पुत्र प्री शुभ मदाव जीह  
साक्षम भौं नवाब खिलाप यवाजा आसगाज तहसील जिला  
रुट।

## मृतक योग्य लाभ -

१/१ - चापुष्ट लेन आपुला ३०१५ परम्

1/1 - पांचवां तर्फ आपने यहाँ कैसे किया ?  
 1/2 - पंक्ति उन आपुलगामों की वज्र पुराण स्वरूप हैं जो चरणों पर  
 बिल्लीगण भी दूसरा नहाए बिल्लराम गेट बासगेट !

- ① कु. लौरेन्स सिंह उम्र कीव ५० साल  
 ② कु. राजेश सिंह उम्र कीव १८ साल (सूतक दैरान वध)  
 ③ कु. चरेंड सिंह उम्र कीव ५५ साल बंगला वासांज पुराणी गाँव  
 महाराजपुरी निवासी बंगला नाम विलाप यताज वाहिनी



परगांव विष्वराम विहार धर्म संस्कृति - मुख्य ० ता० १ नापाल ते रोलद्वय असाडिपीलोक्यार  
सेत्सुट्टेव्वस अलोक्या० ता० २ हिन्दी जम्बु भक्तिस्टैट रुबजीद फूलिं इन्डीगर कीथि हिन्दीजन  
ता० १ वर्गीय स्तर छब्बिल्पर अधृष्ट ।

५०१ काशीनगर बबलपुर छाता—  
सुअलग्नि  
५। कृष्णविर हिंदू देवउद्धवरीत्य ३१ वर्ष पुराती वीरेन्द्र तिंह सिंहती चैत्रलग्नवाष  
कास्त्रा कासगंज जिल लटा उल चौखुटा १३४ मी अक्षयन भाद्रविहार केज - १ पिलो

(2/1) ने जनते राजस्थानी देव प्राप्त कर्म 65-लघु (पटको) और सम्पूर्ण देव प्राप्त कर्म 43 साल पाती बिज्ञाकुमार देव (पटो)

(२/२) श्री महाराजा देवन चतुर्पुर करात्रि पृथिवी साल बता विकासकुमारज्ञन (पुरा)  
 (२/३) श्री राजीव छैन चापुर करात्रि पृथिवी (पुरा) स० श्री रामेश्वर सिंह देवन विष्णुसरी छाल  
 श्रीपुरा खिलताम नेट लकड़ी भवन कात्रिया परगना विकासपत्रदस्तील कालागंड जिला २२

५ श्री श्री रामेश्वर माधवः ॥४५॥ लघवाभी नरत्वं तिहं ज्ञा मिवासी विलाप  
ज्ञेय अस्ति इति (सामाजिक सम्बन्ध लालूग उत्तम काव्याम च)

⑥ यह विधि अपेक्षा ६३ ग्रन्ति की विधि ज्ञानी वर्तमान हिंदू देश में सबसे खिलाफ़ है।

(६) श्रद्धालुओं के सम्मेलन का सम्पादन ग्रन्थपत्र शास्त्रीरामनगर /  
 (७) श्री चतुर्वेद शब्दाख्याता पुस्तकों का संस्कार है एवं विवासी शास्त्रज्ञ  
 श्रद्धालुओं द्वारा लिखा गया

(५) वीकान जालीनी भागरा  
 (६) ऐसी तसी जीतम देन कुमा क्या की अरत्मु सिंह डैन रत्नो लास्टोर डैन निवासी युग्मा

(५) श्री मते ग्रीष्मि देवदुर्गा श्री चरेकड सिंह देव पनी, श्री मिनाल कम्पर जैपनाथम् ।

( २ )

गाड़ी के लिये श्री आलोक बुशर सोलंकी ८५०

बमि इष्टहः कौ

और प्रतिवादी के लिये श्री शारदा प्रसाद सर्वसीना ८५०

प्रतिवादी



को उपरिधित में इस वाद के आज दिवाप-७-१० को श्री रमेश चुड़े सिविल जज (सौराष्ट्र)

दे सुनिए गये हैं एवं ये होने के दै उपरिधित ओर अधिक बोर्ड अधिक बोर्ड किया जाता है कि—

याका वाप्ती खुलटनामा ५१० ए। के आधार पर सिविल  
सिविल जात ६७ खुलटनामा ५१० (२) दिल्ली का आका  
होगा।

फैसला ३००११५७३१६

और इस वाद के खर्च मद्देद  
तारीख तक उस पर

रुपये की राशि आज को तारीख से ज्ञापन की

प्रतिशत प्रतिवर्ष को देर में व्याप्ति भहित

हो दी जाये—

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के सहित आज दिनांक २० भास १ वर्ष ३१० रु०  
को दी गई।

सिविल जज (सौराष्ट्र)  
कोषीशमनधर



प्रतिवादी

- प्राप्ति  
१—याद-पत्र के लिये मुद्राक  
२—विविध पत्र के लिये अंग्रेज  
३—प्रदर्शितों के लिये पत्रांक  
४—अधिकारी की घोषणा प्राप्ति  
५—यादियों के लिये नियमित-पत्र  
६—उमीदवार नियमावास की चीड़  
७—आवेदितों की प्राप्ति

- प्राप्ति  
१—शक्तिपत्र के लिये मुद्राक  
२—ग्रामिका के लिये मुद्राक  
३—भागिकों की भीड़  
४—वातियों के लिये नियमित-पत्र  
५—ग्रामिका की तापील  
६—कमीज्ञा विभाग की ओर



प्राप्ति

प्राप्ति  
न्यायालय सिविल जज (सी. डी.)  
काशीराम नगर  
२१-९-१०

सत्य प्रतिलिपि  
*इनिटियल्स (लाल)*  
प्रधान प्रतिलिपिक  
कन्द्रीय प्रतिलिपिक विभाग  
निला न्यायालय काशीरामनगर

प्रतिवादी के अधिकार के इस्तेवा  
मी शारदा उमाद हाल्की ८५

प्राप्ति के अधिकार के इस्तेवा  
मी शालक उमार सोलंकी ८५

Photo Stat Copy Verified by  
W.A.- 3007



न०-३ चरेन्द्र सिंह की २५०००० रुपया खिलाया जाएगा भा उनके न लेने पर उनके हृत्त में अदालत ने अमा अमा जाकर शुद्धी को हैली मुद्दजी जैल क्षमाक न०३ के उस बुल भाग पर जो व कूलजा

उद्दालम्प है) दरबल व दोकरवली मुददालम्प दिलाया जाए।

(८) यह कि इन्हीं मुकद्दमा शुद्धी को शुददालम्प पृथम पत्र से दिलाया जाए।

(९) यह कि वीजर अमरनी जो व चजर इन्साफ राम अदालत मे मुकीद शुद्धी राविल हो वहक शुद्धी खिलाफ मुददालम्प पृथम पत्र सार्विरक्षण जावे।

तमसील जामदाद जो की करवा कासांज परना खिलाफ तहसील कासांज जिला रखा।

(१) एक छिला दुकान व आराजी उफताया वाली शौहतला जो हन लस्ता कासांज जिला रखा कीमत त्वरीनी ५००० = ०० रुपया

पुरव - दुकान राम इनाथ

पश्चिम - सड़क

उत्तर - दुकान रमान देवी

दक्षिण - जली

(२) एक छिला दुकान बिसेंद्र पृथम पत्र दिलाया दर है) मध्य एक कोठी जिसमें सद्धूराम बिसेंद्र चेश्टर वा वाली शौहतला नचूराम करवा कासांज जिला रखा कीमती शुद्धी ८००००० = ०० रुपया।

पुरव - दुकान राजेन्द्र कौरा

पश्चिम - दुकान गोप्तल पृथम

उत्तर - सड़क

दक्षिण - मुकाम पं० सत्पनरामन  
कौरह।

(३) एक छिला हैली शुरवा कुमाला वाली शौहतला नवाब लस्ता कासांज जिला रखा। कीमती ६५०००० = ०० रुपया।

पुरव - शुकान अहराज सिंह भादव व आराजी उफतादा भरीकिन।

पश्चिम - शापिलही कम्पाउड भरीकिन।

उत्तर - आराजी उफतादा ५ कुट शुद्धी खादू अदाता महाराज सिंह पाठ।

दक्षिण - शुरत हैली शुद्धी बायदू रास्ता।



१३.९.८०

न्यायालय, सावलं जज (सीनियर डिवीजन) काशीरामनगर

मूलवाद संख्या 06

सन 1979

580 A1

श्री भरतेन्द्र सिंह वादहू श्री पीयूष जैन

बनाम्

580 A1

श्री वीरेन्द्र सिंह जैन आदि

श्रीमानजी,

निवेदन यह है पक्षों के मध्य आपसी जुबानी समझौते के आधार

पर फैसला हो गया है। भविष्य में कोई विवाद न रहे इस कारण उक्त जुबानी

समझौते को लिखित में उक्त वाद में दाखिल करना उचित होगा ताकि कोई

पक्षकार या उनके वारिस समझौते को चुनौती न दे सके तथा मुकद्दमे का

निर्णय हो सके। समझौते का विवरण निम्न प्रकार है:-

1— यह कि पक्षों के मध्य दिनांक—23.3.1974 को मौखिक बंटवारे को

लिखित रूप में रजिस्टर्ड कराया गया था, उक्त मौखिक बंटवारा में पक्षों के

पैत्रिक निवास स्थान जिसमें लक्ष्मी भवन विलराम गेट, कासगंज के नाम से

जाना जाता है, में चारों भाईयों सर्वश्री भरतेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह जैन, राजेन्द्र सिंह

जैन तथा नरेन्द्र सिंह जैन में से श्री वीरेन्द्र सिंह जैन ने अपने हिस्से के ऐवज

में 14,000 रुपया प्राप्त करके उसे श्री भरतेन्द्र सिंह जैन के हक में छोड़ना तय

पाया था। इसी प्रकार श्री राजेन्द्र सिंह जैन ने 9000 रुपया लेकर तथा नरेन्द्र

सिंह जैन ने 25000 रुपया लेकर उक्त भवन में क्रमशः अपने अपने हिस्से श्री

भरतेन्द्र सिंह जैन के हक में छोड़ना तय पाया था, किसी कारण वश उस समय

इस प्रकार के हुए मौखिक बंटवारे पर अमल नहीं हो पाया किन्तु दौरान

मुकद्दमा श्री वीरेन्द्र सिंह जैन ने अपने हिस्से की धनराशि 14000 रुपया

लेकर इस सम्बन्ध में एक समझौता पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया अतः

उनका कोई हिस्सा किसी प्रकार का भवन में नहीं रहा।

2— यह कि श्री नरेन्द्र सिंह जैन प्रतिवादी द्वारा चूंकि लक्ष्मी भवन में अब

अपना हिस्सा छोड़ने की ऐवज में 25,000 रुपया रखीकार नहीं किए जा रहे हैं

अतः उनको संलग्न नक्शा में अक्षर ई०एफ०जी०एच०बी०ए० संख्या—11 व पीले

Narendra Singh Jain Virendra Singh  
Jain ——  
M.A.—  
Jain ——  
राजेन्द्र सिंह जैन

13.9.10 counter for file no  
P.C. Chaudhary  
Burrari  
L.T.O. Rajeev Jain

मूलवाद संख्या—11  
राजेन्द्र सिंह जैन

मूलवाद संख्या—11  
राजेन्द्र सिंह जैन



580 A1  
2  
580 A1  
2

रंग से दर्शाया गया भाग दे दिया गया दीवार ए०बी० जो ककईया ईट की बनी है वह श्री नरेन्द्र सिंह जैन के भाग मे शामिल है उक्त संलग्न नक्शा मे उक्त भाग की पैमाइश अंकित की गयी है



3— यह कि लक्ष्मी भवन का जो भाग ए०बी०सी०डी० संख्या—1 वलाल रंग से दर्शाया गया है अनन्य रूप से श्री पीयूष जैन का है जिसकी भुजाओं की माप ए०बी०—५५ फुट, बी०सी०—३६फुट ६ इंच व सी०डी०—५५ फुट व ए०डी०—३६फुट ६इंच है जिसे उक्त लक्ष्मी भवन में बांटे गए भाग वे स्वामियों को एक दूसरे की ओर काई दरवाजा रोशनदान, जंगला, नाली, परनाला, इत्यादि निकालने का अधिकार नहीं है और न होगा। ए०बी०सी०डी० भाग का निकास दक्षिण सड़क विलराम दरवाजा की ओर होगा।

4— यह कि संलग्न नक्शा में अक्षर आई०जे०एफ०ई०संख्या—८ अक्षर आर—५५फुट टी०य०वी० डब्ल०एक्स० संख्या—९ व अक्षर सी०सी०, जी०जी०, एच०एच०, आई०आई० जे०जे०, के०के० संख्या—१० से व पीले रंग से दर्शायी गयी सम्पत्तियां श्री नरेन्द्र सिंह जैन के हिस्से में २३.३.१९७४ से पूर्व हुए आपसी मौखिक बटबारे में आयी थी और उनका उक्त सम्पत्तियों पर अनन्य कब्जा व दखल है। इकरारनामा दिनाक २३.३.१९७४ मे सम्पत्ति संख्या—९ किसी त्रुटिवश स्व० श्री राजेन्द्र सिंह जैन के हिस्से में लिख गयी थी श्री राजेन्द्र सिंह जैन के हिस्से में लक्ष्मी भवन के दक्षिण ओर सड़क पार करके मौहल्ला नाथूराम में जो सम्पत्ति आयी थी वह त्रुटिवश श्री नरेन्द्र सिंह जैन के हिस्से में लिख गयी थी उक्त सड़क पार की सम्पत्ति स्थित मौहल्ला नाथूराम जिसकी सीमाये उत्तर मे सड़क विलराम दरवाजा, दक्षिण मे मकान ज्योति साद व पूरब मे मकान सुरेशचन्द्र वार्ष्ण्य व पश्चिम मे जायदाद रामप्रकाश व गंगा वाले बढ़ारी मार्केट है पर स्व० श्री राजेन्द्र सिंह जैन के वारिसान द्वारा कब्जा व दरवल द्वारा न्यायालय आर०५०एण्ड ई०ओ० / एस०डी०एम कासगंज मे दिनांक २९.१२.२००९ को प्राप्त कर लिया गया है हम पक्षकार इस बात की युक्ति करते है कि लक्ष्मी भवन के दक्षिण ओर सड़क पार की उक्त सम्पत्ति श्री राजेन्द्र सिंह जैन के हिस्से में आयी थी और उससे श्री नरेन्द्र सिंह जैन अथवा पीयूष जैन का या

राजेन्द्र सिंह नरेन्द्र सिंह जैन वन्दा सिंह जैन  
Piyush Jain SAI- १२३ जून  
Rakesh Jain Narender Singh Jain Vanida Singh Jain

50/3  
580 A  
3

किसी अन्य पक्षकार का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और यदि कोई अन्य पक्षकार उक्त सम्पत्ति पर अपना दावा करता है तो वह अकृत व शून्य होगा। उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में श्री पीयूष जैन ने जो आपत्ति नगर पालिका परिषद में कर रखी है वह इस संधि पत्र के द्वारा खारेज की जाती है और बेअसर हो गयी है पीयूष जैन ने इस सम्पत्तिकी वावत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट नम्बर-65885 वर्ष 2009 पीयूष जैन बनाम राजेन्द्र सिंह जैन दायर की गयी जो कि दिनांक: 8.12.2009 को निरस्त हो गयी।

5— यह कि दिनांक:23.3.1974 से पूर्व मौखिक विभाजन के अनुरूप लक्ष्मी भवन में श्री राजेन्द्र सिंह जैन केवारिसान द्वारा रूपया ५०००/- <sup>प्र०. सुनील</sup> लेकर अपना हिस्सा छोड़ना स्वीकार कर लिया है तथा उक्त धनराशि श्री पीयूष जैन से प्राप्त कर ली है।

6— यह कि संलग्न नवशे मे अक्षर बी०बी०, सी०सी०, डी०डी०, एल०एल० संख्या-३ व रंग हरे से दर्शायी गयी सम्पत्ति मौखिक विभाजन के अनुसार श्री वीरेन्द्र सिंह जैन के हिस्से मे आयी थी और उन्ही के कब्जा व दखल मे है।

7— यह कि संलग्न नवशा में अक्षर ओ०पी०क्य०एच० संख्या-५ व नीले रंग से दर्शायी गयी सम्पत्ति आपसी मौखिक विभाजन के ३ नुसार स्व० श्री राजेन्द्र सिंह जैन के हिस्से में आयी थी और वर्तमान मे उनके वारिसानो के कब्जा व दखल मे है।

8— यह कि दिनांक 23.3.1974 से पूर्व हुए मौखिक विभाजन मे अक्षर बी० ए०ए०, एल०एल०, एल०एल०-१, एच०जी० से दर्शाया गया भाग शामिलाती खुले चौक के रूप मे रखा गया था किन्तु पक्षों ने आपसी रजामंदी से उसका विभाजन कर लिया है उक्त चौक मे अक्षर बी०वाई०जेड०डब्ल० संख्या-२ बलाल रेंग से दर्शायी गयी सम्पत्ति के स्वामी श्री पीयूष जैन है यदि भविष्य मे उक्त सम्पत्तिको विक्रय वरते है तो पहले लिखित नोटेस के द्वारा इस वाद के पक्षकारो को बाजार भाव बताकर बेचने का प्रस्ताव वरेगे और यदि दो माह के अन्दर इस वाद के पक्षकार उक्तसम्पत्ति क्य नही करते है तो वह किसी

को भी उक्त सम्पत्ति विक्रय कर सकेंगे। किन्तु वह विक्रय उस बाजार भाव के   
*Mareendra Singh Jee Virendra Singh Jain*

*13-9-10*  
प्र० चौमलाल  
मैदान  
L.T.J. Rajeev Jain



*राजेन्द्र जैन*

*Piyush Jain*

*WIA*

*J*

*जैन*

५८०-४  
५

५८०-४  
५

...4...

कम पर न होगा। जो पक्षकारों को प्रस्तावित किया गया था। यदि उक्त सम्पत्ति एक से अधिक पक्षकार क्य करने के इच्छुक होते हैं तो जो ज्यादा मूल्य देगा उसे उक्त सम्पत्ति विक्रय की जावेगी शेष सम्पत्तियों के स्वामियों पर ऐसा कोई बंधन नहीं होगा और वे अपनी अपनी सम्पत्तियों को किराये पर उठाने, विक्रय करने, गिरवीं रखने इत्यादि के लिए स्वतन्त्र होंगे।

9— यह कि संलग्न नक्शा में अक्षर वाई०, ए०ए०, एल०एल०, ई०ई०.एफ०एफ०<sup>1/2</sup> संख्या-४ व हरे रंग से दर्शायी गयी सम्पत्ति के स्वामी श्री वीरेन्द्रसिंह जैन है।

10— यह कि संलग्न नक्शा में अक्षर एल०एन०, एच०एम० संख्या-६ व नीले रंग से दर्शायी गयी सम्पत्ति के स्वामी स्व० श्री राजेन्द्र सिंह जैन के वारिसान है।

11— यह कि नक्शा में अक्षर के०एल०एम०जी० संख्या-७ व पीले रंग से दर्शायी गयी सम्पत्ति के स्वामी श्री नरेन्द्र सिंह जैन है।

12— यह कि श्री वीरेन्द्र सिंह जैन द्वारा पूर्व में जो समझौता इस वाद में दाखिल किया गया था उसमें उनके प्लाट जो संलग्न नक्शा में अक्षर ३ से दर्शाया है, की सही पैमाइश नहीं लिखी गयी श्री जबकि संलग्न नक्शे में सही पैमाइश लिखी गयी है अगर पूर्व समझौता तथा इस समझौते में कोई फर्क पाया जाता है तो यह संधि पत्र ही मान्य होगा।

13— यह कि संलग्न नक्शे में भुजा वाई-२ को पूरब ओर सीधा खींचने पर उत्तर ओर जो रास्ता नारंगी व सफेद रंग से दर्शाया गया है वह श्री वीरेन्द्र सिंह जैन व वारिसान श्री राजेन्द्र सिंह जैन व श्री नरेन्द्र सिंह जैन की सम्पत्तियां जो क्रमशः संख्या-४ व ३ व ६ व ५ व १० व १ से दर्शायी

गयी है के अनन्य प्रयोग के लिए है तथा भुजा वाई-२ को पूरब ओर सीधा खींचने पर जो रास्ता दक्षिण ओर नारंगी व सफेद रंग से दर्शाया गया है वह सभी पक्षों के उपयोगार्थ है और चारों पक्ष उक्त दक्षिणी तरफ रास्ते के निर्माण में बराबर का व्यय करेंगे। उक्त रास्ता विन्दु के उपर उत्तर

Narendra Singh Jain Krishnar Singh Jain  
Chanday Singh Jain Pujresh Singh Jain  
Pujresh Singh Jain

राजेन्द्र सिंह जैन  
पुरुष झैन



~~50/-~~ 50/-

...5...

की तरफ एपेक्स टाइल से पक्का करवाया जावेगा जिसका 1/3 व्यय श्री वीरेन्द्र सिंह जैन व 1/3 व्यय वारिसान श्री राजेन्द्र सिंह व 1/3 व्यय श्री नरेन्द्र सिंह जैन करेंगे व इस रास्ते में अवरोध करने या वाहन खड़ा करने का अधिकार किसी पक्ष या उनके मेहमानों को न होगा।

14— यह कि कुल रास्ता जो सफेद व नारंगी रंग से दर्शाया गया है में कोई भी पक्षकार, छज्जा, चबूतरा, प्रोजेक्शन, परनाला कर्तई नहीं निकाल सकेंगे केवल उस रास्ते के दोनों ओर अधिक संअधिक एक एक फुट चौड़ी नालियां बनाई जा सकेगी जो पूरे रास्ते में उत्ता! से दक्षिण ढाल की होंगी। तथा मध्य सड़क विलराम दरवाजा की नाली में जाकर मिल जावेगी अथवा पक्षकार आपसी सहमति से एक एक बड़ी अन्डर ग्राउण्ड नाली भी बनवा सकते हैं उक्त रास्ते के नीचे जमीन के अन्दर से पक्षकारों को बिजली, टेलीफोन व पानी की लाइन ले जाने का अधिकार होगा। उक्त रास्ते में सभी को दरवाजा जंगला निकालने का अधिकार होगा।

15— यह कि पक्षकार एक्स०आई० स्थान पर गेट चढ़वा सकेंगे जिसका व्यय समान रूप से वहन करेंगे और उसके ताले की एक एक चाबी प्रत्येक पक्षकार के पास रहेगी। गेट लगाने के लिए सम्पत्तिसंख्या—१ व ८ की दीवारों का सहारा लिया जा सकेगा। किन्तु दीवारें हमेशा श्री नरेन्द्र सिंह जैन की रहेंगी।

16— यह कि रारता के एक्स०डब्लू०ज०आई० नाग को श्री नरेन्द्र सिंह जैन अपनी सम्पत्ति संख्या—८ व ९ की दीवारों के सङ्गारे से पाटकर उसकी उपर निमांण कर सकेंगे। पटाव की उँचाई कम से कम 14 फुट होगी।

17— यह कि सम्पत्ति संख्या—५ के पूरब में तथा सम्पत्ति संख्या—१ व ११ के उत्तर में 5 फुट चौड़ा रास्ता है जिसके सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह जैन ने वाद संख्या— सन् नरेन्द्र सिंह बनाम महाराज सिंह डिक्टी कराया है। उस रास्ते में उक्त सम्पत्तियों के स्वामियों को अधिकार प्राप्त रहेंगे।

18— यह कि १०बी०सी०डी० संख्या—१ व लाल रंग से दर्शायी गयी सम्पत्ति में अभी श्री वीरेन्द्र सिंह व श्री नरेन्द्र सेंह जैन व वारिसान श्री

नरेन्द्र सिंह जैन विन्द्र श्री जैन



Alfa  
13-9-104

P.W.D. Chandigarh  
Administration

L.T.O. Rajeev Jain

Rajendra Singh

Rajendra Singh  
Rajendra Singh

8/3/40

12-

प्रकृष्ण देव

...6...

राजेन्द्र सिंह जैन रह रहे हैं। जो इस समझौता पत्र के आधार पर निर्णय होने की दिनांक से 15 माह के अन्दर अपना कब्जा हटाकर श्री पीयूष जैन को दे देंगे यह एक वर्ष/<sup>पैन मास</sup> का समय इरालिए दिया जा रहा है ताकि उक्त पक्षकार अन्य सम्पत्तियों में निर्माण कराकर अपने अपने रहने का इन्तजाम कर लेंगे। यदि किसी पक्षकार द्वारा संलग्न नक्शा में दर्शायी गयी सम्पत्तियों में निर्माण करने में कोई वैद्यानिक अडचन आती है जिसे दूर करना उक्त पक्षकार के हाथ में न हो तो यह 15 माह खाली करने का समय उक्त वैद्यानिक अडचन दूर होने के बाद से प्रारंभ होगा।



विद्यानंक अड्डेवाला दूर होना।  
 19— यह कि इसी प्रकार पक्षकार ई०ए०बी०ए० संख्या-11 व रंग पीले से दर्शायी गयी सम्पत्ति में भी कुछ भाग पर श्री वीरेन्द्र सिंह जैन व वारिसान स्व० श्री राजेन्द्र सिंह जैन का कब्जा है वह भी उक्त अवधि में उपरोक्त पक्षकार से उन्हे हटाकर कब्जा व दखल श्री नरेन्द्र सिंह जैन को देना होगा

20— यह कि यदि कोई पक्षकार उक्त अवधि में उपरोक्तानुसार अपना कब्जा हटाकर श्री पीयूष जैन या श्री नरेन्द्र सिंह जैन को नहीं देता है तो वह उक्त सम्पत्तियों के स्वामियों को पांच सौ रुपया प्रतिदिन की दर से हर्जा इस्टैमाल देगा। तथा जरिए इजराय पीयूषजैन को तुरन्त दखल लेने का अधिकार उक्त 15 माह की अवधि के बाद होगा जिसमें खाली करने वालों या उनकेवारिसानों को किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

21— यह कि संलग्न नक्शा में दर्शायी गयी सम्पत्ति पर कोई पक्षकार मास मदिरा का कारोबार या भण्डारण नहीं कर सकेगा और यह शर्त प्रत्येक पक्षकार के क्रेता पर भी लागू होगी जब तक वि उक्त सम्पत्तियों में से किसी भी सम्पत्ति में जैन परिवार रहता है। यदि कोई पक्षकार या उसका क्रेता इस शर्त का उल्लंघन करता है तो जरिए इजराय उसे रोका जा सकेगा।

22— यह कि साहव वाला पेच कासगंज में जो सम्पत्ति है वह मौखिक

बटवारा के अनुसार अनुंवध दिनांक: 23.3.1974 में श्रीवीरेन्द्र सिंह व श्री  
Narender Singh Jeni Virindla Singh Jam  
राजपक्षमान्त्रिय  
Pugush Singh SP Ad.  
58  
संकलन

7/1 ५४० अ  
7

...7...

राजेन्द्र सिंह व श्री नरेन्द्र सिंह जैन की संयुक्त रूप से प्राप्त की है जिसमें  
श्री भरतेन्द्र सिंह जैन या उनके वारिसानो का कोई हक हिस्सा नहीं है।

उपलब्ध  
23— यह कि प्रतिवादी संख्या—४ श्री कृष्णवीर सिंह जैन उपरोक्त/नहीं है  
अतः उसे मुकदमे से वरी किया जाता है। किंतु यदि वह भविष्य में किसी  
सम्पत्ति में कोई भी अधिकार का दावा करता है तो उस अधिकार की  
संतुष्टि श्री वीरेन्द्र सिंह जैन अपने को प्राप्त सम्पत्तियों में से ही करेगें।

24— यह कि यदि श्री पीयूष जैन के अन्य कोई भाई बहिन कोई विवाद

करते हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी पीयूष जैन की होगी। अतिक्षमी संबद्धी।  
उपरोक्त वारिसानो का उपरोक्त निर्णय आदि विविध विधियों  
में से ही किए जाने चाहिए।

25— यह कि किसी पक्षकार द्वारा इस संधि पत्र का उल्लंघन किए जाने

की दशा में उसके विरुद्ध इजराय लाकर इसका पालन कराया जा सकेगा।

26— यह कि यह संधि पत्र पक्षकारों व उनके वारिसानो व विधिक प्रतिनिधियों  
में व उत्तराधिकारियों पर लागू रहेगा।

27— यह कि श्री पीयूष जैन के पास श्री वीरेन्द्र सिंह का एक दस्तखती  
कागज हो सकता है वह किसी भी उददेश्य के लिए मान्य नहीं होगा।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि इस संधि पत्र को स्वीकार  
किया जाकर संधि पत्र के आधार पर मुकदमा उपरोक्त निर्णीत किया जाकर  
संधि पत्र को निर्णय का अंग रखे जाने की कृपा करें महान् कृपा होगी।

दिनांक: 13.9.2010

प्रार्थीगण

साझे-

भरतेन्द्रसिंह जैन वादहू पीयूष जैन

वादीगण

(१) रजना कृष्णजी,-  
13/9/10

*AJK*  
13-9-10 A.M.

Piyush Jain  
धन्करडेंस  
सेक्टर १०  
विश्वनाथपुर

(२) Krunal Jain  
(३) Sanjeev Bansal.  
(५) अनुराग

वीरेन्द्र सिंह जैन आदि

Virendra Singh Jain  
Deflt. No. 3

Narender Singh Jai

U, १३ पर. Chaudhary

राजेन्द्र सिंह जैन  
पर. Chaudhary

*AKA*  
13/9/10



१३.७.१०

४७२४।



काव्य लाइ राजस्थान प्रान्तिका पञ्चवार्षि

दीय उद्घाटन किमा गाँव पर्वत व श्री  
पीभुष जैन की अनांत व्यंग कालोचुम्बी  
शोलाली ४३० काय ली गाँव व उतिगविम्ब  
ली विद्विन्देही की अनांत वी आद्य  
ष्टमं शतम्ब ४३० वे बाजीर जन्म द  
शब्दुम्बापि ली अनांत वी आद्य के वास्तव  
४३० रविवार के लिए ली जाएँगी  
वास्तव ४३० वे ली गोदे दिन्देही की  
अनांत वी संगोष्ठी फल दिन्देही ४३०


उतिवारी गण ५, ६ लाख के लिए विना  
गाँव ही उतिवारी ५ वी रुप्तु ले  
दुखी ही समझाना पर पञ्चवार्षि वी  
एकल झुकाना के समझाना गाँव ।  
उतिवारी पर समझाने की अता के  
ज्ञानार्थ पर समझाने की ज्ञानार्थ

१३.७.१०  
राजस्थान  
(कोट्टेज)  
काव्य

सहमति पत्र

मैं श्रीमती अरुणा जैन पत्नी स्व0 श्री नरेंद्र सिंह जैन निवासी बिलराम गेट,  
मोहल्ला नबाव कासगंज की हूँ। मैं अपने पुत्र रजत सिंह जैन को दिनांक 07/07/2014 को  
अपने बैंक खाते से रूपये 2,00,000.00 (दो लाख) का एक चैक बिल्डर को फ्लैट का  
एडवांस देने के लिये उधार के रूप में अपनी सहमति से दे रही हूँ क्योंकि उक्त धनराशि  
देनी आवश्यक है और मेरे पुत्र रजत सिंह जैन के पास उक्त धनराशि की व्यवस्था किसी भी  
प्रकार से नहीं हो पा रही है और बैंक से ऋण लेने की पूरी सीमा समाप्त हो चुकी है। अतः  
यह सहमति पत्र लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे। उक्त धनराशि मेरा  
पुत्र तीन वर्ष के अंदर बिना ब्याज के अदा करेगा।

दिनांक : 07/07/2014

  
(श्रीमती अरुणा जैन)